भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3227
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता और गुणवत्ता

3227. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अब तक देश भर में बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना में वितरण उपयोगिताओं (डिस्कॉम) की दक्षता में सुधार पर जोर दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के उद्देश्य क्या हैं और अब तक, विशेष रूप से असम राज्य में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना के तहत वितरण घाटे को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों को लागू किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 520.51 गीगावाट है (जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार)। भारत ने अप्रैल, 2014 से अब तक 296.388 गीगावाट नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में पहुंच गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध** पर है। 'ऊर्जा आपूर्ति' सामान्यतः 'ऊर्जा आवश्यकता' के अनुरूप रही है और इसमें केवल मामूली अंतर प्रायः राज्य के पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

इसके अतिरिक्त, चूँकि, विद्युत एक समवर्ती विषय है, अत: किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों/शहरों को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। सभी उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों/शहरों को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्रोतों से उपयुक्त मात्रा में विद्युत की व्यवस्था करना संबंधित वितरण लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है।

आरडीएसएस का एक प्रमुख उद्देश्य समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना तथा औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच के अंतर को शून्य करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर स्कीम के अंतर्गत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु 1.53 लाख करोड़ रू. तथा स्मार्ट मीटरिंग के लिए 1.3 लाख करोड़ रू. के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

स्कीम के अंतर्गत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं:

- नए उपकेंद्रों की स्थापना/उपकेंद्रों का उन्नयन संबंधी कार्य
- नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डीटी) की संस्थापना तथा मौजूदा डीटी की क्षमता वृद्धि
- पुराने कंडक्टरों को बदलना
- एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगतकरण
- कृषि फीडरों का पृथक्करण

इसके अतिरिक्त, स्मार्ट मीटरिंग कार्य से वितरण यूटिलिटी की राजस्व संग्रह दक्षता को बढ़ाने में मदद मिलती है तथा स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान और ऊर्जा पारगमन के लिए सक्षम पारितंत्र उपलब्ध कराने जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। स्कीम के अंतर्गत 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग तथा 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख डीटी के लिए स्मार्ट सिस्टम मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक आरडीएसएस के अंतर्गत 4.55 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देश भर में कुल 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

असम राज्य के लिए स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 3,395 करोड़ रू. तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 4,050 करोड़ रू. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। असम राज्य के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के तहत 64.45 लाख स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 28 फरवरी, 2026 तक 50.36 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना वितरण यूटिलिटी के प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त इससे सरकारी सब्सिडी और सरकारी विभागों के बकायों के समय पर भुगतान, टैरिफ आदेशों का नियमित जारी होना, खातों का समय पर प्रकाशन, विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन न होना आदि में भी अनुशासन लाने में सहायता मिली है।

केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 2020-21 के 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.04% हो गई हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत आपूर्ति लागत एवं औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर 0.69 रू./ किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रू. /किलोवाट-घंटा रह गया है। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप डिस्कॉम ने पहली बार 2,701 करोड़ रू. का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) ने भी एटीएंडसी हानि को वित्त वर्ष 2020-21 में 18.55% से घटाकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.44% तक कम किया है, तथा एसीएस-एआरआर अंतर को वित्त वर्ष 2020-21 के 0.32 से घटाकर वित्त वर्ष 2024-25 में (0.26) कर दिया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3227

अनुबंध

विगत तीन वित्तीय वर्षों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में देश में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वित्त वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]			
	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति की गई	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	14,27,436	14,27,009	427	0.03

****